(ii) with five years regular service in level 3 in	
the pay matrix (Rs. 21700-69100); and	
(b) possessing the following qualifications and	
experience :-	
1) 12 th standard pass from a recognised Board;	
2) Diploma in Arts from a recognised School of	
Arts and Crafts.	

[F. No. A.11018/14/2016-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

- सा.का.िन. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक वार्डन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक वार्डन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी I

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी I
- **6. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने
नाम				अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक वार्डन	02 (दो) * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा' समूह , ग ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - 5 (रुपए 29200-92100)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	व्यक्तियों के लिए विहित	यदि कोई हो	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	आयु और शैक्षिक अर्हताएं		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा		प्रतिशतता
	में लागू होंगी या नहीं		
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,	भर्ती करने में किन
जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ लोक
		सेवा आयोग से परामर्श किया
		जाएगा
(11)	(12)	(13)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या	लागू नहीं	लागू नहीं होता
विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक		
सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी/स्वशासी संस्थानों के अधीन		
अधिकारी		
(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश		
पद धारण किए हुए हों; और,		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4		
में या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के		
पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और जो निम्नलिखित		
के अंतर्गत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों		
i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से		
डिग्री ।		
ii. किसी सरकारी या अर्ध सरकारी-संस्थान		
अधिमानत: अस्पताल हॉस्टल में प्रबंधन या		
पर्यवेक्षण में छ: माह का अनुभव।		

[फा. सं. ए.11018/23/2016-एमएच-II] जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 2019

- **G.S.R. 180.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Warden in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Assistant Warden, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital New Delhi, Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether	Age limit for
			Matrix	selection post or	direct recruits
				non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	02* (2019)	General Central	Level 5 in the	Not applicable	Not applicable
Warden	*Subject to	Service, Group 'C',	Pay Matrix.		
	variation dependent	Non Gazetted Non	(Rs. 29200-		
	on workload.	Ministerial	92100)		

Educational and	Whether age and	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by direct
other qualifications required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	any	recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
	promotees		
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
(i) Officers under the Central government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level 4 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and possessing following educational qualification and experience: (i) Degree from a recognized University. (ii) Minimum six months experience of management or supervision of Hostel in Government or Semi-Government institutions preferable in a Hospital.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. A.11018/23/2016-MH-II] G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (निम्न श्रेणी लिपिक और हिंदी टंकक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में निम्न श्रेणी लिपिक और हिंदी टंकक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर, निम्न श्रेणी लिपिक और हिंदी टंकक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।